हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए

सॉवरमल बनाम् बद्रीप्रसाद वगै0
दावा बाबत घोषणा, तकास्मा व दुरूस्ती रिकार्ड एंव
स्थायी निषेधाज्ञा
मुकदमा नं0 106/2018

05.11.2018

पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादी नम्बर 11 ता 13 की सम्मन तामील पूर्व में सम्यक रूप से होकर लौटी है। बावजूद तामील हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादी नम्बर 11 ता 13 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील वादी ने प्रकरण में पक्षकारान् के मध्य आपस में राजीनामा हो जाने से प्रकरण का बरूए राजीनामा निस्तारण किये जाने का निवेदन किया।

वकील वादी के निवेदन पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त प्रकरण में वादी व प्रतिवादी नम्बर 1 ता 4 व 7, 9, 10 के मध्य आपस में राजीनामा हो चूका है तथा प्रतिवादी नम्बर 5, 6 व 8 की ओर से वादी के पक्ष में इकबालिया जवाब दावा पेश हो चूका है। साक्ष्य वादी मे वादी सॉवरमल व वादी साक्ष्य गवाहान् में श्रीचन्द पुत्र मालीराम जाट का लिखितशुदा शपथ पत्र पेश किये जा चूके है।

प्रकरण का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार से है कि भूमि खसरा नम्बर 1582, 1583, 1584, 1586, 1587, 1588, 1591 से 1603, 1605, 1606 कुल किता 21 कुल रकबा 12.3300 हैक्टर तन् ग्राम लीलां की ढ़ाणी पटवार हल्का थोई में स्थित है। जिसकी खातेदारी राजस्व रिकार्ड में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पिता/दादा/ससुर मृत्तक बालूराम पुत्र जोदा हिस्सा 1/4 एंव प्रतिवादी संख्या 6 हिस्सा 1/24 एंव प्रतिवादी संख्या 7, 9, 10 के पिता मृत्तक चौथमल पुत्र नानगा हिस्सा 1/2 एंव प्रतिवादीया संख्या 5 हिस्सा 1/12 व प्रतिवादी संख्या 4 हिस्सा 1/12 एंव प्रतिवादिया संख्या 8 हिस्सा 1/24 दर्ज है। उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 6 गोपाल के पिता का नाम भगवाना गलत दर्ज है जबकि वास्तविक नाम रूड़ा है। इसलिए प्रतिवादी संख्या 6 के पिता का नाम भगवाना के स्थान पर रूड़ा दुरूस्तनीय है।

सहायक कलक्टर (फास्ट टेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Scanned by CamScanner

सांवरमल बनाम बद्रीप्रसाद वगै०

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज सि०प्र० - 106/2018
दावा	~~कृषि भूमि खसरा नम्बर 1346, 1347 कुल~~ किता 2 कुल रकबा 1.65 हैक्टर तन् ग्राम लीलां की ढ़ाणी पटवार हल्का थोई में स्थित होकर खातेदारी राजस्व रिकार्ड में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पिता/दादा ससुर मृत्तक बालूराम पुत्र जोधा हिस्सा 1/2 एंव प्रतिवादी संख्या 7, 9, 10 के पिता मृत्तक चौथमल पुत्र नानगा हिस्सा 1/2 दर्ज है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 आपस में एक ही परिवार खानदान के है। उक्त कृषि भूमियॉ मृत्तक बालूराम पुत्र जोधा उर्फ जोदा के नाम दर्ज हक हिस्सा की खातेदारी भूमि पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 काबिज काश्त चले आ रहे है तथा उक्त भूमियों बाबत वादी व प्रतिवादीगण ने मौके पर बाहमी बंटवारा कर रखा है जिसके अनुसार वादी सांवरमल भूमि खसरा नम्बर 1582 रकबा 0.69 हैक्टर सम्पूर्ण एंव खसरा नम्बर 1584 रकबा 0.71 हैक्टर में से पश्चिमी तरफ उत्तर दक्षिण लम्बी टुकड़ी भूमि रकबा 0.26 हैक्टर पर काबिज काश्त चला आ रहा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 बद्रीप्रसाद भूमि खसरा नम्बर 1599 रकबा 0.29 हैक्टर, 1600 रकबा 0.26 हैक्टर, 1605 रकबा 0.14 हैक्टर सम्पूर्ण तथा खसरा नम्बर 1584 रकबा 0.71 हैक्टर में से मध्य में से उत्तर दक्षिण लम्बी टुकड़ी भूमि 0.26 हैक्टर पर काबिज काश्त चला आ रहा है तथा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 बाबूलाल व सुवा देवी भूमि खसरा नम्बर 1593 रकबा 0.35 हैक्टर, 1595 रकबा 0.42 हैक्टर सम्पूर्ण एंव भूमि खसरा नम्बर 1584 रकबा 0.71 हैक्टर में से पूर्वी तरफ की उत्तर दक्षिण लम्बी टुकड़ी भूमि रकबा 0.19 हैक्टर पर काबिज काश्त चले आ रहे है तथा प्रतिवादी संख्या 4 व 5 मदनलाल व बोदीदेवी भूमि खसरा नम्बर 1586 रकबा 0.81 हैक्टर, 1594 रकबा 0.82 हैक्टर सम्पूर्ण पर काबिज काश्त चले आ रहे है तथा प्रतिवादी संख्या 6 गोपाल भूमि खसरा नम्बर 1583 रकबा 0.69 हैक्टर सम्पूर्ण पर काबिज काश्त चला आ रहा है तथा प्रतिवादी संख्या 7 मालीराम भूमि खसरा नम्बर 1597 रकबा 0.68 हैक्टर, 1606 रकबा 1.44 हैक्टर सम्पूर्ण पर काबिज काश्त चला आ रहा है तथा प्रतिवादिया संख्या 8 श्रवणी देवी भूमि

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
...श्रीमाधोपुर (सीकर)

सोबरमल बनाम बद्रीप्रसाद वगै०

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

दावा

मु०नं०-106/2018

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए

खसरा नम्बर 1598 रकबा 0.34 हैक्टर, 1601 रकबा 0.35 हैक्टर सम्पूर्ण पर काबिज काश्त चली आ रही है तथा प्रतिवादी संख्या 9 बोदूराम भूमि खसरा नम्बर 1591 रकबा 1.04 हैक्टर, 1592 रकबा 0.61 हैक्टर सम्पूर्ण तथा खसरा नम्बर 1596 रकबा 1.14 हैक्टर में से रकबा 0.57 हैक्टर उत्तरी तरफ पर काबिज काश्त चला आ रहा है तथा प्रतिवादी संख्या 10 शंकरलाल भूमि खसरा नम्बर 1587 रकबा 1.30 हैक्टर, 1588 रकबा 0.15 हैक्टर सम्पूर्ण व खसरा नम्बर 1596 रकबा 1.14 हैक्टर में से रकबा 0.57 हैक्टर दक्षिणी तरफ पर काबिज काश्त चला आ रहा है। खसरा नम्बर 1346 रकबा 1.49 हैक्टर, 1347 रकबा 0.16 हैक्टर पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 एंव प्रतिवादी संख्या 7, 9, 10 मौके पर बाहमी बंटवारा के अनुसार दर्शित नजरी नक्शानुसार काबिज काश्त चले आ रहे है। इसलिए उक्तानुसार भूमियों का विधिक तकास्मा करवाया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 को अलग–अलग खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाकर अलग–अलग लगान कायम किये जाने का निवेदन वकील वादी ने किया है। खसरा नम्बर 1594 में से दक्षिणी तरफ 0.05 हैक्टर शमशान भूमि के उपयोग उपभोग में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 के काम आ रही है तथा कृषि भूमि मद संख्या 1 वादपत्र में संलग्न नजरी नक्शा में दर्शित लाल स्याही से रास्ता आवागमन हेतु 10 फुट चौड़ा स्थित है जो पक्षकारान् वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 का शामलाती है। जिसमें किसी भी पक्षकार को बाधा कारित करने का कोई अधिकार किसी किस्म का नहीं है। वादी ने प्रतिवादी को उक्त भूमियों की मौके के बाहमी बंटवारा के अनुसार खातेदारी अपने नाम करवाने हेतु कहा तो पहले तो वादी को हॉ करते रहे परन्तु दिनांक 10.06.2018 को इन्कार हो गये। इसलिए दावा पेश करने लाजिम आया है। वकील वादी ने उक्तानुसार तकास्मा किये जाने हेतु निवेदन वादी ने वादपत्र में किया है।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Scanned by CamScanner

सांवरमल बनाम बद्रीप्रसाद वगै०

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	प्र०नं० - 106/2018
दावा	~~हमने वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र~~ व उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में वादी व प्रतिवादी नं. 1 ता 4, 7, 9, 10 के मध्य आपस में राजीनामा हो चूका है तथा प्रतिवादी नम्बर 5, 6 व 8 की ओर से वादी के पक्ष में इकबाली जवाब दावा पेश किया जा चूका है। प्रकरण में वादी व प्रतिवादीगण एक ही परिवार से है। प्रकरण में पक्षकारान् ने आपस में राजीनामा भी पेश कर तस्दीक कराया है। पक्षकारान् के द्वारा पेश किया वादपत्र बरूये राजीनामा स्वीकार किया जाना उचित प्रतित होता है। वादपत्र में अंकित तथ्यों को पक्षकारान् ने सही होना स्वीकार किया जाकर वादपत्र में अंकित तथ्यों को स्वीकार किये जाने से वादपत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि होती है।
	अतः ऐसी स्थिति में राजस्व लोक अदालत में लोक अदालत की भावना को मध्यनजर रखते हुए वादी द्वारा पेश वादपत्र बरूये राजीनामा डिकी किया जाना उचित समझता हूँ।
	अतः वादी द्वारा पेश वादपत्र बरूये राजीनामा स्वीकार किया जाकर डिकी किया जाता है तथा राजीनामा दिनांक 24.08.2018 को डिकी का भाग बनाया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। इसी अनुसार पर्चा डिकी जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
	यह निर्णय आज दिनांक 05.11.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
	(ब्रह्म लाल जाट) आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर) सहायक कलक्टर (फास्ट टेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

Scanned by CamScanner